

फॉर्म एल-32-शोधक सीमांत - केटी 3

(विनियमन 4 देखें)

बीमा विनियमन एवं (बीमांकन रिपोर्ट तथा सार) विनियमन, 2016.

उपलब्ध शोधक सीमांत तथा शोधक अनुपात

30 सितम्बर, 2017

बीमाकर्ता का नाम: भारतीय जीवन बीमा निगम	पंजीयन संख्या: 512	फॉर्म कोड: 015	वर्गीकरण कोड: 1
वर्गीकरण: भारत में व्यवसाय			

मद	विवरण	समायोजित मान [रकम (₹ लाख में)]	
		30.09.2017	30.09.2016
01	पॉलिसीधारक फंड में उपलब्ध परिसंपत्ति :	24,89,01,725	22,12,84,714
	घटाव:		
02	गणितीय संचिति	23,72,32,302	20,97,19,119
03	अन्य देयतायें	4,453	10,70,482
04	पॉलिसीधारक फंड में अधिकता	1,16,64,970	1,04,95,113
05	शेयरधारक फंड में उपलब्ध परिसंपत्ति :	10,000	10,000
	घटाव:		
06	शेयरधारक फंड की अन्य देयतायें	0	0
07	शेयरधारक फंड में अधिकता	10,000	10,000
08	कुल उ.शो.सी. (04)+(07)	1,16,74,970	1,05,05,113
09	कुल अ.शो.सी.	77,31,135	69,29,970
10	शोधक अनुपात (उ.शो.सी/अ.शो.सी.)	1.51	1.52

प्रमाणीकरण:

में, नियुक्त बीमांकक, प्रमाणित करता हूँ की उपरोक्त विवरण बीमा अधिनियम, 1938 के धारा 64Vए के अनुसार तैयार किया गया है, तथा इनमे उल्लेखित रकम, जहाँ तक मुझे ज्ञात है, के अनुसार सत्य एवं सही है।

स्थान: _____
दिनांक: _____

नियुक्त बीमांकक का नाम तथा हस्ताक्षर

नोट:

1. मद सं. 01 में बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (परिसंपत्तियाँ, देयताएं तथा बीमाकर्ताओ का शोधक सीमांत) विनियमन, 2016 के अनुसूची I के अंतर्गत विनिर्दिष्ट फॉर्म ईरडा-असेट्स-ए में उल्लेखित परिसंपत्तियों का समायोजित मान का रकम होगा।
2. मद सं. 02 में फॉर्म - एच में उल्लेखित गणितीय संचिति की रकम होगी।
3. मद सं. 03 तथा 06 में तुलन पत्र में उल्लेखित अन्य देयताएं की रकम होगी।
4. मद सं. 05 में बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (परिसंपत्तियाँ, देयताएं तथा बीमाकर्ताओ का शोधक सीमांत) विनियमन, 2016 के अनुसूची I के अंतर्गत विनिर्दिष्ट फॉर्म ईरडा-असेट्स-ए में उल्लेखित कुल परिसंपत्तियों की रकम होगी।